

पॉलिसी नं.-----
Policy No/s.

वार्षिकीग्राही का नाम:-----
Name of the Annuitant

अस्तित्व (जीवित) का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF EXISTENCE

(नीचे दिए गए फार्म पर वार्षिकीग्राही द्वारा ----- को या उसके बाद हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और निम्न में से किसी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(The below mentioned Form should be signed on or after _____ by the Annuitant and ATTESTED by any of the following :

बैंक शाखा प्रबंधक / राजपत्रित अधिकारी / पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर / पोस्ट मास्टर / स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य / किसी सरकारी, नीमसरकारी, न्यायिक-कल्प सरकारी, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रथम श्रेणी अधिकारी / एलआईसी के विकास अधिकारी / एलआईसी एजेंट (उनके पंजीकरण क्रमांक/कोड नम्बर/एजेंसी नम्बर की मुहर के साथ)

(Bank Branch Manager / Gazetted Officer / Registered Medical Practitioner / Post Master / School/ College Principal / Class-I Officer of any Government, Semi Government, Quasi Government, Government Undertaking, Public Sector Undertaking / LIC Development Officer / LIC Agent (STAMPED THEIR REGISTRATION NOS./CODE NOS./AGENCY NOS.)

“मैं----- एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती -----
----- पुत्र / पुत्री ----- मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से _____
को उपस्थित थे और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया तथा उनके हस्ताक्षर को नीचे सत्यापित किया गया है। मैं उनकी पहचान से पूरी तरह संतुष्ट हूं।

“I, _____ hereby certify that Shri / Smt.
_____ Son/ Daughter of _____

_____ personally appeared before me on _____ and has signed in my presence and his / her signature is attested below. I am full satisfied about his / her identity”.

दिनांक -----इस ----- दिन -----20-----
Dated at _____ this _____ day of _____ 20_____

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of the Certifying

प्राधिकारी के काउंटर हस्ताक्षर
Counter signature of Authority

वार्षिकीग्राही के हस्ताक्षर-----
Annitant

(मुहर) _____
(Stamped)

पता: (वही/नया)-----
Address : (Same/New)

पदनाम-----
Designation

पता -----

Address : _____

वार्षिकीग्राही का ई-मेल नं. -----
Annuitant's Email ID

आवास टेलीफोन नं. ----- मोबाइल नं.-----
Resi.Tel.No. Mobile No.

निहित होने के बाद अस्तित्व (जीवित) प्रमाणपत्र की अनिवार्य आवश्यकता विकल्पों के अनुसार निम्नवत है:

The mandatory requirement of EXISTENCE CERTIFICATE after Vesting as per Options is “

ए/ जी/ एच/ आई - वार्षिक
A/ G / H / I - Yearly

बी/सी/डी/ई-वार्षिक (गारंटी-अवधि पूरा होने के बाद)
B / C / D / E – Yearly

एफ/ जे - प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार
F / J – Once every 5 years